कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्र.2849/ निगम सचिव / न.पा.नि. / 2026 रायगढ़, दिनांक 30/03/2026

प्रति,

संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषयः– नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 10.03.2026 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

–––––0000–––––

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 10.03.2026 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र.2849/ निगम सचिव / न.पा.नि. / 2026 रायगढ़, दिनांक 30/03/2026

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
6. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।
7. संबंधित प्रभारी अधिकारी .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रति

परिशिष्ट

(प्रारुप क देखिये)

नगर पालिक निगम रायगढ़ परिषद् के साधारण सम्मिलन दिनांक 10.03.2026 समय पूर्वान्ह/अपरान्ह 11:00 बजे विचारण के लिये सम्मिलित विषयों की सूची :–

(क)	पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो,	निरंक
(ख)	पाषर्दो द्वारा पुछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तरः–	पार्षदो द्वारा कुल 38 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें लॉटरी पद्धति के माध्यम से निर्धारित समयावधि 01 घण्टा में प्रश्न क्र. 11, 09, 13, 33, 06, 22, 31, 05, 37, 04, 03, 23, 29, 14, 16, 08, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36 पर सदन में चर्चा हुई एवं प्रश्न क्र. 01, 02, 07, 10, 17, 20, 30, 34, 35, 38 चर्चा हेतु शेष रह गए।
(ग)	**महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारीः–** 1. छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर पत्र क्रमांकः 24865/GENS-2101/878/2025-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17-09-2025 महापौर/अध्यक्ष/पार्षद निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो का प्रकाश व्यवस्था हेतु व्यय के संबंध में। 2. छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर पत्र क्रमांकः PROJ-201/32/2025-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23-01-2026 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 अंतर्गत आबादी (प्रचलित/सुरक्षित) भूमि पर काबिज हितग्राहियों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रमाण–पत्रों का वितरण प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश के संबंध में। 3. कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) पत्र क्रमांक 6880/जनगणना शा/2025 रायगढ़, दिनांक 21/08/2025 आगामी जनगणना – 2027 के लिए जिलों में प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में।	महत्वपूर्ण पत्रों का परिषद बैठक में अवलोकन किया गया।
	प्रस्ताव	**निर्णय**
(घ) 1.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 13.11.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 16 :– कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ छ.ग. का पत्र क्रमांक LAW/822/2025/COLL RGH/व.लि./2025 रायगढ़ दिनांक 06.11.2025 का पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें लेख है कि माननीय महापौर नगर पालिक निगम के द्वारा इतवारी बाजार रायगढ़ में निर्मित ऑक्जीजोन पार्क का नामकरण "सिंदुर पार्क" के नाम से किए जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के संबंध में नगर पालिक निगम से अभिमत की मांग कार्यालय कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा की गई है। प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तदनुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत बहुमत से स्वीकृत।
2.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 13.11.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 18 :– महापौर जी का आवेदन पत्र क्रमांक 20 दिनांक 11.11.2025 प्राप्त हुआ, जिसमें पंजरी प्लांट स्थित ऑडिटोरियम का नामकरण "संत पूज्य श्री प्रियदर्शी रामजी" किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तदनुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।

Scanned with OKEN Scanner

ार परिषद् की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 04 :–

विषय :–वार्ड समिति का गठन।

छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 48 (क) अनुसार वार्ड समितियों का गठन हेतु निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 48(क) के अनुसार वार्ड समितियों का गठन किया जाना है।
वार्ड समितियों का गठन तथा उनकी संरचना :–

1. 03 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी नगर पालिक निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जावेगा।
2. किसी निगम में वार्ड समितियों की संख्या उतनी होगी जो नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या को 01 लाख से विभाजित करने पर प्राप्त होती है :–
   परन्तु तीन लाख से कम जनसंख्या वाले निगम भी अपनी प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियां गठित कर सकेंगे।
3. निगम की वार्ड समिति में सम्मिलित वार्डो की संख्या यथाशक्य निकटतम एक जैसी होगी।
4. निगम वार्ड समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने के लिये सक्षम होगा, परन्तु किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित किये वार्ड समीपस्थ होंगे।
5. किसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक निर्वाचित पार्षद और ऐसी वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले 02 व्यक्ति जो महापौर द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये, उस समिति के सदस्य होंगे। परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये अन्यथा अपात्र नहीं है, इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया जावेगा। (परन्तु वह और भी कि केवल उन व्यक्तियों को ही जिन्हे नगर पालिक प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, वार्ड समिति के अध्यक्ष के सिफारिश पर नाम निर्दिष्ट किया जावेगा और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को वार्ड समितियों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।
6. वार्ड समिति अपने प्रथम (विहित रिति में सम्मिलन) में अपने निर्वाचित पार्षदों में से एक सदस्य को वार्ड समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी, जो अपना पद नगर पालिक निगम की अवधि पर्यन्त धारण करेगा। (परन्तु जब अध्यक्ष किसी वार्ड समिति का सदस्य है तो अध्यक्ष ऐसी वार्ड समिति का पदेन सभापति होगा।
7. राज्य सरकार वार्ड समितियों के कृत्य तथा शक्तियां और उनके कार्य संचालन के प्रक्रिया विहित करेगी। चुनाव एवं जनगणना शाखा, नगर पालिक निगम, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी एवं नक्शा अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ की जनसंख्या 1,66,460.00 है।

अधिनियम 1956 की धारा 48 क (2) अनुसार निगम में वार्ड समितियों की संख्या उतनी होगी जो नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या को 01 लाख से विभाजित करने पर प्राप्त होगी, परन्तु आधे से कम भाग की संगणना नहीं की जाएगी और आधे के बराबर या उससे अधिक भाग को निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा। अर्थात 1,66,640 की जनसंख्या में वार्ड समितियों की संख्या 02 होगी। निगम के वार्डो का नक्शा संलग्न है एवं नक्शे के अनुसार वार्डो के क्रम में 02 वार्ड समितियों के गठन हेतु समितियों के प्रादेशिक क्षेत्र की सूची भी संलग्न प्रस्तावित है। नियम की कंडिका 4 अनुसार निगम वार्ड समितियों का प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने में सक्षम होगा।

अतः प्रथमतः प्रादेशिक क्षेत्र अवधारित करने हेतु प्रकरण मेयर इन काउंसिल के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु सादर प्रस्तुत है।
प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसा सहित परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत् पश्चात महापौर/सभापति द्वारा परिषद की पुष्टि की प्रत्याशा में स्वीकृति दी गई।
निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तदनुसार प्रकरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से महापौर/सभापति द्वारा परिषद की पुष्टि की प्रत्याशा में स्वीकृति दी गई।
तदनुसार स्वीकृति की पुष्टि की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

	<u>महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 05</u> :– श्री केशव जायसवाल जिला अध्यक्ष कलार समाज रायगढ़ के द्वारा पंजीरीप्लांट ऑडिटोरियम वार्ड नंबर 28 रायगढ़ के पास स्थित बालउद्यान (गार्डन) का नाम **"भगवान श्री सहस्त्रबाहु"** के नाम पर रखे जाने हेतु एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
5.	<u>महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 06</u> :– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07-11-2025 के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ सीमा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 लागू की जा रही है। अतः उपरोक्त अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु की पुष्टि हेतु विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से अगली परिषद बैठक में रखा जावे।
6.	<u>महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 09</u> :– नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र. 42 अमलीभौना में न्यू सारंगढ़ बस स्टैण्ड का उन्यन कार्य (अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल) (सि.नि.क्र. 176850) (अनुमानित लागत राशि रु. 2074.73 लाख) हेतु दिनांक 23.09.2025 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर टाईम्स ऑफ इंडिया एवं प्रादेशिक स्तर पर पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 03.09.2025 एवं 04.09.2025 को प्रकाशित किया गया था। जिसमें कुल 01 निविदा मेसर्स दीपक पाण्डेय, रायपुर को प्राप्त हुआ। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय निविदा (सि.नि.क्रं. 176850) (अनुमानित लागत राशि रू. 2074.73 लाख) हेतु दिनांक 15.10.2025 तक आनलाईन आमंत्रित की गयी थी। जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेश स्टेण्डर्ड एवं प्रादेशिक स्तर पर नईदुनिया समाचार पेपर में दिनांक 04.10.2025 एवं दिनांक 01.10.2025 को प्रकाशित किया गया था। उक्त कार्य हेतु पुनः कुल 01 निविदा मेसर्स दीपक पाण्डेय, रायपुर के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें उनके द्वारा **8.90%** अधिक एस.ओ.आर. 22,59,38,097.00 (बाइस करोड उनसठ लाख अडतीस हजार सनतान्बे रू.) दिया। निकाय के पत्र क्र. 547/लो.क.नि./न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से मुख्य अभियंता यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर को प्राप्त दर प्रचलित बाजार दर से अधिक होने के संबंध मे निगोशियेशन किये जाने की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालाय के पत्र क्रमांक **FINANCE-3602/983/2025-UAD** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.12.2025 के आधार पर निविदाकर्ता को निकाय के पत्र क्रमांक 2201 दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से निगोशियेशन हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके परिपालन में निविदाकर्ता द्वारा 15.12.2025 को प्रेषित पत्र के आधार पर निगोशियेशन किये जाने उपरांत प्राप्त दर 7.75% अधिक एस.ओ.आर. 22,35,52,157.00 (बाइस करोड पैंतीस लाख बवान हजार एक सौ संतावन रू.) दिया। उपरोक्त दर पर कार्य कराया जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसा सहित परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत् पश्चात कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार परिषद की पुष्टि की प्रत्याशा में महापौर/सभापति द्वारा स्वीकृति दी गई है। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से महापौर/सभापति द्वारा परिषद की प्रत्याशा में दी गई स्वीकृति की पुष्टि की जाती है।
7.	<u>महापौर परिषद की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 10</u> :– नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रांतर्गत सभी एस.एल.आर.एम. सेंटरों में गीले एवं सुखे कचरों के प्रबंधन हेतु संयंत्रो की स्थापना हेतु (सि.नि.क्र. 176839) (अनु. लागत राशि रू. 708.67 लाख) तक ऑनलाईन निविदा दिनांक 29.09.2025	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से महापौर/सभापति द्वारा परिषद की प्रत्याशा में दी

Scanned with OKEN Scanner

	30वां मड़ई महोत्सव आयोजित किया गया है। पूर्व में परिषद द्वारा मड़ई महोत्सव हेतु रू. 25000/— का अनुदान प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण एम.आई.सी. में स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत श्री अशोक यादव MIC सदस्य "खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग" द्वारा यह आपत्ती दर्ज कराई गई, कि मड़ई महोत्सव संस्था द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है तो राशि स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए परिषद में रखा जावे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	की जाती है।
11.	<u>महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 18</u> :— कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा शहीदों के नाम से शासकीय शाला, चौक चौराहे एवं पुल का नामकरण करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर पालिका निगम क्षेत्रांतर्गत सरल क्रमांक 6 में शहीद प्लाटून कमांडर स्व. श्री गीताराम राठिया जी का शहादत दिवस 21.03.2020 घटना घटित थाना क्षेत्र चिंता गुफा में मिनपा कैंप में हुई थी, का शहीद स्मारक बोईरदादर चौक रायगढ़ में स्मारक बनाया जाना एवं चौक को वीर शहीद के नाम से नामकरण किये जाने हेतु प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से वार्ड क्र. 47 विजयपुर चौक में स्मारक बनाने एवं नामकरण किये जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण परिषद बैठक में रखें। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
12.	<u>महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 19</u> :— समाजिक सद्भाव समिति रायगढ़ (छ.ग.) एवं आमलोगो के द्वारा सामुदायिक भवन केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड का नामकरण "भगवान बिरसामुंड़ा जी" के नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
13.	<u>महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2026 समय 03:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 15</u> :— नगर निगम स्वामित्व के संजय काम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक— 24 श्री विजय अग्रवाल आ.गुलाबचंद अग्रवाल के नाम से आबंटित है। उक्त दुकान का नामांतरण श्री रिंकु अग्रवाल आ. स्व. विपिन अग्रवाल के नाम से किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका नियमानुसार दुकान नामांतरण दावा आपत्ति सूचना क्रमांक 7926/रा.वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 05.12.2025 में दैनिक समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 07.12.2025 एवं दैनिक भास्कर दिनांक 07.12.2025 में सूचना प्रकाशन किया गया जिसमें निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नामांतरण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण एम.आई.सी. के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः— प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
14.	<u>महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2026 समय 03:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 16</u> :— नगर निगम स्वामित्व के मिनी स्टेडियम काम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक— 12	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।

Scanned with OKEN Scanner

	30वां मड़ई महोत्सव आयोजित किया गया है। पूर्व में परिषद द्वारा मड़ई महोत्सव हेतु रू. 25000/– का अनुदान प्रदान किया गया है। अतः प्रकरण एम.आई.सी. में स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत श्री अशोक यादव MIC सदस्य "खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग" द्वारा यह आपत्ती दर्ज कराई गई, कि मड़ई महोत्सव संस्था द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है तो राशि स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए परिषद में रखा जावे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	की जाती है।
11.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 18 :– कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ के द्वारा शहीदों के नाम से शासकीय शाला, चौक चौराहे एवं पुल का नामकरण करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर पालिका निगम क्षेत्रांतर्गत सरल क्रमांक 6 में शहीद प्लाटून कमांडर स्व. श्री गीताराम राठिया जी का शहादत दिवस 21.03.2020 घटना घटित थाना क्षेत्र चिंता गुफा में मिनपा कैंप में हुई थी, का शहीद स्मारक बोईरदादर चौक रायगढ़ में स्मारक बनाया जाना एवं चौक को वीर शहीद के नाम से नामकरण किये जाने हेतु प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से वार्ड क्र. 47 विजयपुर चौक में स्मारक बनाने एवं नामकरण किये जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रकरण परिषद बैठक में रखें। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
12.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 31.12.2025 समय 12:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 19 :– समाजिक सद्भाव समिति रायगढ़ (छ.ग.) एवं आमलोगो के द्वारा सामुदायिक भवन केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड का नामकरण "भगवान बिरसामुंडा जी" के नाम पर किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रकरण एम.आई.सी. में विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
13.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2026 समय 03:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 15 :– नगर निगम स्वामित्व के संजय काम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक– 24 श्री विजय अग्रवाल आ.गुलाबचंद अग्रवाल के नाम से आबंटित है। उक्त दुकान का नामांतरण श्री रिंकु अग्रवाल आ. स्व. विपिन अग्रवाल के नाम से किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका नियमानुसार दुकान नामांतरण दावा आपत्ति सूचना क्रमांक 7926/रा.वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 05.12.2025 में दैनिक समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 07.12.2025 एवं दैनिक भास्कर दिनांक 07.12.2025 में सूचना प्रकाशन किया गया जिसमें निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नागांतरण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण एम.आई.सी. के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।
14.	महापौर परिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2026 समय 03:00 बजे के प्रस्ताव क्र. 16 :– नगर निगम स्वामित्व के मिनी स्टेडियम काम्पलेक्स स्थित दुकान क्रमांक– 12	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से

Scanned with OKEN Scanner

	श्याम सिंह आ. ज्वाला प्रसाद के नाम से आबंटित है। उक्त दुकान का नामांतरण श्री अमर सिंह राजपूत आ.मंगल सिंह राजपूत के नाम से किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका नियमानुसार दुकान नामांतरण दावा आपत्ति सूचना क्रमांक 9778/रा.वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 10.12.2025 में दैनिक समाचार पत्र रायगढ़ अंचल दिनांक 13.12.2025 एवं रायगढ़ भास्कर दिनांक 12.12.2025 में सूचना प्रकाशन किया गया जिसमें निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नामांतरण किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण एम.आई.सी. के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। निर्णयः– प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से परिषद बैठक में रखे। तद्नुसार प्रकरण एम.आई.सी. द्वारा अनुशंसित, परिषद में रखे जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	
15.	नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत घड़ी चौक से केवड़ाबाड़ी होते हुए ढिमरापुर चौक तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य (सि.नि.क्र. 183903) (अनु. लागत राशि रू. 938.70 लाख) हेतु दिनांक 02.02.2026 तक द्वितीय ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार, जिला–सक्ती द्वारा न्यूनतम दर 3.86% (तीन दशमलव आठ छः प्रतिशत) कम एस.ओ.आर. प्रस्तुत किया गया है। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा की गयी है। जनहित में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए महापौर समिति से पुष्टि की प्रत्याशा में परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु महापौर महोदय द्वारा अनुशंसा की गई है। अतः मेसर्स संजय कुमार केडिया, बाराद्वार, जिला–सक्ती से प्राप्त दर 3.86% (तीन दशमलव आठ छः प्रतिशत) कम एस.ओ.आर. दर को स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से स्वीकृत।

निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner